प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

दाण्डिक अपील क्रमांक1517/1996

आवेदकगण : आशा वर्मा व अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय हेतु दिनांक 1 दिसंबर, 2010 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 1517/1996</u>

आवेदकगण : आशा वर्मा व अन्य

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

आवेदकगण की ओर से श्री वी.के. पांडे, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री रवींद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 01.12.2010 को पारित)

यह अपील विशेष प्रकरण क्रमांक 5/1992 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 06-09-1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 7, 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के तहत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष करते हुए सिद्ध पाए गए प्रत्येक अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया था, जिसे साथ-साथ चलने का आदेश दिया था।

2. यह निर्विवाद है कि घटना की तिथि पर मृतक अपीलार्थी-मदन किशोर बिल्हा स्थित तहसील कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि जब मृतक अपीलार्थी-मदन किशोर बिल्हा स्थित तहसील कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत थे, तब शिकायतकर्ता-आनंद राम से संबंधित एक मामला तहसीलदार के न्यायालय में लंबित था और शिकायतकर्ता उक्त मुकदमे को समाप्त कराना चाहता था। दिनांक 03-02-1990 को, जब शिकायतकर्ता-आनंद राम बिल्हा स्थित तहसील कार्यालय में राजस्व कार्यवाही में उपस्थित हुए, तो उन्होंने अभियुक्त से मामले को खारिज कराने का प्रबंध करने का अनुरोध किया, जिस पर अभियुक्त ने मामले को खारिज कराने के लिए 200/- रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि अंत में सौदा 100/- रुपये में तय हुआ और दिनांक 20-02-1990 को अर्थात सुनवाई की अगली तिथि पर, शिकायतकर्ता को 100/- रुपये के साथ आने के लिए कहा गया। चूंकि शिकायतकर्ता-आनंद राम रिश्वत की मांग को पूरा करने के इच्छुक नहीं था, इसलिए उसने दिनांक 19-02-1990 को बिलासपुर स्थित सतर्कता कार्यालय में डीएसपी (सतर्कता) के समक्ष एक लिखित शिकायत प्र.पी-1 प्रस्तुत की। उक्त लिखित शिकायत दर्ज होने पर, सी.बी. सिंह, अ.सा. 1 और एक अन्य शासकीय साक्षी को समन किया और शिकायतकर्ता से परिचय कराया गया। शिकायतकर्ता-आनंद राम की वास्तविकता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि होने के बाद, संबंधित डीएसपी (सतर्कता) ने ट्रैप कार्यवाही की व्यवस्था की। सतर्कता कार्यालय में एक प्री-ट्रैप प्रदर्शन की व्यवस्था की गई जिसमें एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। पानी में डुबोए गए कागज का रंग नहीं बदला। इसके बाद, फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त कागज के एक और टुकड़े को फिर से सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। प्री-ट्रैप कार्यवाही का एक पंचनामा प्र.पी. -2 के रूप में तैयार किया गया। यह प्रदर्शन करने के बाद, शिकायतकर्ता से 100/- रुपये का नोट दिखाने को कहा गया, जिस पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता की जेब में रख लिया गया। शिकायतकर्ता को यह भी बताया गया और निर्देशित किया गया कि ट्रैप की व्यवस्था कैसे की जाएगी और ट्रैप की कार्यवाही में उसकी क्या भूमिका होगी। 100/- रुपए के नोट में अंकित संख्या को भी ट्रैप-पूर्व कार्यवाही में पंचनामा प्र.पी-2 के अनुसार दर्ज किया गया था।

3. प्र.पी-2 में ट्रैप कार्यवाही की व्यवस्था करने का पंचनामा तैयार करने के बाद, ट्रैप दल बिल्हा स्थित तहसील कार्यालय की ओर बढ़ी, जहां अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को 100/- रुपये की रिश्वत के साथ आने के लिए कहा। जिस वाहन में ट्रैप दल के सदस्य शिकायतकर्ता के साथ गए थे, वह बिल्हा रेलवे स्टेशन के पास रुका और शिकायतकर्ता को रिश्वत देने के लिए बिल्हा स्थित तहसील कार्यालय अर्थात घटनास्थल पर जाने के लिए कहा गया और ट्रैप दल के सदस्य घटना को देखने के लिए तहसील कार्यालय के आसपास अलग-अलग जगहों पर इकट्ठा हुए। अभियुक्त और शिकायतकर्ता एक होटल में पाए गए और शिकायतकर्ता-आनंद राम ने अभियुक्त को 100 रुपये का नोट दिया। इसके बाद, ट्रैप सिग्नल प्राप्त करने पर, ट्रैप दल के सदस्य तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अभियुक्त को पकड़ लिया और 100 रुपये का नोट बरामद किया गया और प्र.पी-3 के तहत कुछ और नोटों और अभियुक्त अपीलार्थी के कपड़ों को जब्त कर लिया गया। प्र.पी-4 के तहत, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, बिल्हा के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही के अभिलेख अभियुक्त-अपीलार्थी के कब्जे से जब्त कर लिए गए और प्र.पी-4(ख) के तहत तहसीलदार, बिल्हा के सुपुर्दनामा पर विचारण के दौरान आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करने के लिए दिए गए। प्र.पी-5 के तहत, उन विवादों से संबंधित अन्य अभिलेख भी जब्त किए गए जिनमें शिकायतकर्ता एक पक्षकार था और जो बिल्हा स्थित तहसील कार्यालय में नामांतरण की कार्यवाही के संबंध में लंबित थे। प्र.पी-6 के तहत कुछ अन्य संबंधित दस्तावेज अर्थात नोट और सिविल कार्यवाही में

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पारित आदेश जब्त किए गए। ट्रैप दल द्वारा की गई ट्रैप कार्यवाही का पंचनामा प्र.पी-7 के तहत तैयार किया गया।

4. अभियुक्त के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए, जो गुलाबी हो गए। अभियुक्त की कमीज़ का जेब वाला हिस्सा धुलने पर वह भी हल्के गुलाबी रंग का हो गया। इसके बाद, अभियुक्त के हैंड वॉश के घोल को एक बोतल में रखकर सील कर दिया गया और कपड़े भी सील कर दिए गए। इसके बाद नमूने जाँच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। ट्रैप कार्यवाही और विवेचना पूरी करने तथा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध प्र.पी-8 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, आरोप पत्र दाखिल किया गया। संचालक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट प्र.पी-15 में अभियुक्त के हैंड वॉश और क्लॉथ वॉश युक्त बोतलों की जाँच सकारात्मक होने सूचना दी गई, जो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई सीलबंद बोतलों में थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7, 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के कथित कृत्य के लिए आरोप विरचित किए। अभियुक्त अपीलार्थी ने अपने दोष से इंकार गया। अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 9 साक्षियों का परीक्षण किया। दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपनी परीक्षण में, अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोगात्मक साक्ष्यों का सामना कराये जाने पर, अपीलार्थी ने रिश्वत मांगने या स्वीकार करने से इनकार किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है।

6. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले पर भरोसा करते हुए और सी.बी. सिंह, अ.सा.1, और दुर्गा प्रसाद पाराशर, अ.सा.2 के साक्ष्य से उसे सिद्ध मानते हुए, दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7,

13(1) (घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत कथित दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया और उसे प्रत्येक अपराध के लिए एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास से दंडित किया और सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया।

7. अपीलार्थी को अपराध के लिए सिद्धदोष करने के लिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से सी. बी. सिंह, अ. सा. 1, राम बहादुर सिंह, अ. सा. 4, आर. जे. टोप्पो, अ. सा. 9 और शिकायतकर्ता आनंद राम, अ. सा. 6 के साक्ष्यों और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी के हैंडवाश और कपड़े धोने के बर्तनों में फिनोलफ्थैलीन पाउडर की उपस्थिति का संपुष्ट साक्ष्य के रूप में आश्रय लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढतापूर्वक तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी द्वारा कोई मांग की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी द्वारा कोई रिश्वत स्वीकार की गई थी, और इसलिए, फिनोलफ्थैलीन पाउडर की उपस्थिति और अपीलार्थी के कब्जे से केवल मुद्रा नोट की बरामदगी को उसकी दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी, खासकर स्वतंत्र साक्षी, जिन्हें ट्रैप दल रिश्वत देने की घटना और शिकायतकर्ता व अभियुक्त अपीलार्थी के बीच हुई बातचीत को देखने के लिए विशेष उद्देश्य से लाई थी, ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया कि अपीलार्थी ने कोई मांग की थी या उसने रिश्वत का प्रस्ताव स्वीकार की थी। इसके बाद अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी के रिश्वत मांगने का कोई हेतुक नहीं था क्योंकि वह कार्यवाही का प्रभारी लिपिक नहीं था और कोई आदेश पारित करना या मामला खारिज करवाना उसके अधिकार में नहीं था।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि एक अन्य लिपिक भी था, जो प्रभारी था और संबंधित कार्यवाही की देखरेख कर रहा था, जिसे शिकायतकर्ता खारिज करवाना चाहता था। दिनांक 16-01-1990 को ही संबंधित लिपिक की अनुपस्थिति में अपीलार्थी ने उसका कार्यभार संभाला था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क यह है कि जिन तिथियों को मांग बताई गई है, उस दिन शिकायतकर्ता कार्यालय में उपस्थित भी नहीं था, जैसा कि कार्यवाही के आदेश पत्रों से स्पष्ट है, और इसलिए, शिकायतकर्ता का यह दावा कि मांग अपीलार्थी द्वारा की गई थी, पूरी तरह से मनगढ़ंत और बाद में गढ़ा गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जहाँ तक मांग, स्वीकृति और वसूली का संबंध है, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला गंभीर और अंतर्निहित विरोधाभास से ग्रस्त है। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रैप दल के साथ लाए गए स्वतंत्र साक्षियों सहित अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का तात्विक पहलुओं पर समर्थन नहीं किया है और उनके कथन न केवल विरोधाभासी हैं, बल्कि अन्य साक्षियों द्वारा कथन किये गये ट्रैप दल की कहानी का भी खंडन करते हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि रिश्वत देने के विभिन्न स्थानों का कथन किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तात्विक पहलुओं पर समुचित पुष्टि के अभाव में और शिकायतकर्ता, जो स्वयं एक सहयोगी है और अपीलार्थी को फंसाने में गहरी रुचि रखता है, की परिसाक्ष्य की पुष्टि के बिना, अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में अवैध और असंधारणीय है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अंततः तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 20 में निहित प्रावधानों का आश्रय लेकर, अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की माँग और स्वीकृति के प्रमाण के अभाव में, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि राशि रिश्वत

के रूप में स्वीकार की गई थी। अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **डॉ. ए. वाई. प्रसाद बनाम राज्य, 2002 (4) क्राईम्स 527, सुनील कुमार शर्मा बनाम राज्य (सीबीआई), 2007 (3) क्राईम्स 160, अर्जुन बाजीराव काले बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2009 (4) क्राईम्स 504 (बॉम्बे), के. गिरी बनाम ए.पी. राज्य, 2009 (1) क्राईम्स 367 (ए.पी.), लोकायुक्त पुलिस, मंड्या राज्य बनाम के. एम. गंगाधर, 2008 (3) क्राईम्स 532 (कर्नाटक), कर्नाटक राज्य बनाम ए. वी. सतीश, 2007 (4) क्राईम्स (कर्नाटक) 24, हरि देव शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1977) 3 एस सी सी 352, गणपति सान्या नाइक बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 8 एससीसी 309, महाराष्ट्र राज्य बनाम ज्ञानेश्वर लक्ष्मण राव वानखेड़े, (2009) 15 एससीसी 200, ए. सुबैर बनाम केरल राज्य, 2009 (3) क्राईम्स 1 (एससी), सी. एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय, (2009) 3 एससीसी 779, वी. वेंकट सुब्बाराव बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, ए.पी., 2007 सीआर.एल.जे. 754 और राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, विशाखापत्तनम बनाम सूर्य शंकरम करीं, 2006 सीआर.एल.जे. 4598 के निर्णय का अवलंब लिया** ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने मांग, स्वीकृति और वसूली को साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आनंद राम, अ.सा .6 अर्थात शिकायतकर्ता के विश्वसनीय साक्ष्य से यह साबित हो गया है कि अपीलार्थी ने मामले को खारिज कराने के लिए अवैध रिश्वत की मांग की थी, जिसके कारण आनंद राम, अ.सा.6 ने बिलासपुर स्थित सतर्कता कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जो विधिवत साबित हो गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि ट्रैप कार्यवाही न केवल शिकायतकर्ता, अ.सा.6 द्वारा, बल्कि अन्य स्वतंत्र साक्षियों, अ.सा.1, सी. बी. सिंह, राम बहादुर सिंह, अ.सा.4 द्वारा और साथ ही आर. जे. टोप्पो, अ.सा.9 के साक्ष्य से भी विधिवत साबित हुई है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे

तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला अभियुक्त अपीलार्थी के हैंड वाश और क्लॉथ वॉश के संबंध में फिनोलफ्थलीन पाउडर परीक्षण से पूरी तरह से पुष्ट होता है, जो सकारात्मक पाया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि मांग साबित हो गई है और अपीलार्थी की स्वीकृति और उसके कब्जे से मुद्रा नोटों की बरामदगी भी साबित हो गई है, इसलिए अपीलार्थी की सजा को कुछ मामूली और तुच्छ विरोधाभासों और विरोधाभासों के आधार पर प्रश्न गत नही किया जा सकता है, क्योंकि मांग, स्वीकृति और वसूली के संबंध में सभी तात्विक पहलुओं पर अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अडिग और विश्वसनीय रहा है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने राज्य द्वारा **सीबीआई, हैदराबाद बनाम जी. प्रेम राज, 2010 (1) सीसीएससी 109 (एससी)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दुर्गा प्रसाद पाराशर, अ.सा.2 ने एस.सी. गुप्ता, अपर सचिव, विधि एवं विधायी कार्य, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल द्वारा दिनांक 23-01-1992 के आदेश, प्र.सा.-8 द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना सिद्ध कर दिया है। अभियुक्त अपीलार्थी ने भी अपने विरुद्ध अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने पर कोई विवाद नहीं किया है।

13. अवैध परितोषण की मांग, स्वीकृति और मुद्रा नोट की बरामदगी के अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने मुख्यतः सी.बी. सिंह, अ.सा.1, राम बहादुर सिंह, अ.सा.4, आनंद राम, अ.सा.6 और आर.जे. टोप्पो, अ.सा.9 के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया है। विद्वान विशेष न्यायालय ने भी उपरोक्त अभियोजन पक्ष के साक्षियों के परिसाक्ष्य पर मुख्यतः अवलंब लेते हुए मांग, स्वीकृति और वसूली को सिद्ध माना है। इनमें से, आनंद राम, अ.सा.6 शिकायतकर्ता है और अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष का मुख्य साक्षी है। इसलिए, यह आवश्यक होगा कि आनंद राम, अ.सा .6 और अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य की

जाँच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियोजन पक्ष अवैध परितोषण की माँग को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं, ताकि आरोपों को सिद्ध किया जा सके और अपीलार्थी का अपराध सिद्ध किया जा सके।

14. **पन्नालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1979 एससी 1191** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया है:-

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की संपुष्टि तात्विक विवरणों में की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 165-क लागू होने के बाद, जिसमें रिश्वत देने वाले व्यक्ति को रिश्वतखोरी के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया है, शिकायतकर्ता को सहयोगी के रूप में दोषी ठहराए जाने से बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है और अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाले तात्विक विवरणों की पुष्टि पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिश्वत देने वाले व्यक्ति की स्थिति और शासकीय कर्मचारी को फंसाने वाले उसके साक्ष्य का आकलन करते समय आवश्यक सावधानी की जाँच सर्वोच्च न्यायालय ने **एम. ओ. शम्सुद्दीन बनाम केरल राज्य, (1995)3 एससीसी 351** के एक बाद के निर्णय में की थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:

> "टैप मामलों में, यदि कोई साक्षी सह-अपराधी है जो आक्षेपित वास्तविक अधिरोपित अपराध के संबंध में अपराध का भागीदार है, तो उसके साक्ष्य को सह-अपराधियों के साक्ष्य के समान ही माना जाना चाहिए; यदि वे उस अर्थ में सह-अपराधी नहीं हैं, बल्कि केवल पक्षपाती या हितबद्ध साक्षी हैं जो टैप की सफलता में शामिल हैं, तो उनके साक्ष्य का परीक्षण उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसे अन्य हितबद्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया

जाता है, जो मामला-दर-मामला भिन्न हो सकता है और ऐसे हितबद्ध साक्षियों के मामले में पुष्टिकरण सामान्य रूप से हो सकता है, न कि किसी इकबाली साक्षी के मामले में आवश्यक तात्विक विवरणों के रूप में... ऐसे मामलों में अधिक से अधिक उसे एक हितबद्ध साक्षी माना जा सकता है और संपुष्टि आवश्यक है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। हालाँकि, प्रज्ञा के नियम के अनुसार, न्यायालय को ऐसे हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए।"

15. सुस्थापित विधिक स्थिति यह है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए और यदि उसका साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय पाया जाता है और तात्विक पहलुओं का भी संपुष्टि करता है, तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. शिकायतकर्ता आनंद राम, अ.सा.6 ने अपने मुख्य प्रतिपरीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी कृषि भूमि से संबंधित एक मामला तहसीलदार, बिल्हा के न्यायालय में लंबित था और उसी भूमि के संबंध में बिलासपुर में एक सिविल मामला लंबित था और उसने तहसीलदार, बिल्हा के समक्ष सिविल मामलों के कागजात प्रस्तुत किए थे और मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तहसीलदार, बिल्हा उपस्थित नहीं थे और अपीलार्थी उसे तारीख देता रहा। उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने अपीलार्थी से कहा कि तहसीलदार के न होने के कारण उसे तिथि दे दी जाये, तो अपीलार्थी ने कहा कि वह मुकदमा कर रहा है और उसका कार्य मुफ्त में नहीं होगा।। इस पर, अपीलार्थी ने कहा कि यदि वह 200/- रुपये दे दे, तो वह मामला खारिज करवा देगा। जब उसने 200/- रुपये देने में असमर्थता जताई और केवल 100 रुपये देने का प्रस्ताव दिया , तो अपीलार्थी सहमत हो गया और कहा कि

वह मामले को खारिज करवा देगा। जब उससे पूछा गया कि उसे धन कब दिया जाये, तो उसे बताया गया कि जब भी वह धन का इंतजाम करेगा, वह ले आ सकता है: शिकायतकर्ता आनंद राम ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपने गांव लौटने के बाद, उसने सरपंच तुलसी राम को उक्त घटना के विषय में बताया और तुलसी राम ने उसे रिपोर्ट दर्ज करने की सलाह दी, जिसके बाद वह और तुलसी राम बिलासपुर आए और सतर्कता कार्यालय, बिलासपुर गए और वहां से वह पुलिस उप-अधीक्षक (सतर्कता) के कार्यालय गए और मौखिक शिकायत की। पुलिस उप-अधीक्षक (सतर्कता) द्वारा लिखित में शिकायत करने के लिए कहने पर, शिकायतकर्ता ने तुलसी राम से आवेदन तैयार करने का अनुरोध किया और तुलसी राम ने आवेदन तैयार किया, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर किए और पुलिस उप-अधीक्षक (सतर्कता) के समक्ष प्रस्तुत किया। उपरोक्त आवेदन को सिद्ध किया गया है और प्र .पी. 1 के रुप में प्रदर्शित किया गया है जिसमें आनंदराम ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उपरोक्त दस्तावेज प्र.पी.-1, जिसे शिकायतकर्ता आनंद राम ने दिनांक 19-02-1990 को पुलिस उप-अधीक्षक (सतर्कता) के समक्ष प्रस्तुत किया था, में उल्लेखित है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में आर.के. गुप्ता पिता गजाधर ने सिविल कार्यवाही संस्थित की थी और तहसीलदार, बिल्हा के न्यायालय में नामांतरण की कार्यवाही भी संस्थित की थी। दस्तावेज में आगे उल्लेखित है कि उन्होंने तहसीलदार के न्यायालय में सिविल मामले का आदेश प्रस्तुत किया था, फिर भी उन्हें सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उक्त दस्तावेज में महत्वपूर्ण रूप से आगे लिखा है कि दिनांक 03-02-1990 को, जो सुनवाई की तिथि थी, जब शिकायतकर्ता वहां गया, अपीलार्थी, जो तहसीलदार के कार्यालय में लिपिक है, ने कहा कि खारिज कराने या मामला रोकने के लिए उसे 200/- रुपये खर्च करने होंगे, जिस पर उसने कहा कि वह एक गरीब आदमी है और वह केवल 100/- रुपये दे सकता है। जिस पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी ने सहमति व्यक्त की और कहा कि सुनवाई की अगली तिथि 20-02-1990 है, उस तिथि को वह धन लेकर आ सकता है और उसका काम हो जाएगा।

17. अपने मुख्य परीक्षण में, शिकायतकर्ता आनंद राम ने कहा है कि अपीलार्थी ने प्रकरण खारिज करने के लिए 200/- रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की, लेकिन आवेदन प्र.पी.-1 में कहा गया है कि मामले को रोके रखने के लिए धन की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया है कि वह किस तिथि को अभियुक्त अपीलार्थी से मिला था। हालाँकि, उसके शिकायत प्र.पी.-1 में उल्लेखित है कि वह दिनांक 03-02-1990 को तहसीलदार, बिल्हा के कार्यालय गया था, अपने मुख्य परीक्षण में उसने कहीं भी यह नहीं बताया है। शिकायत प्र.पी.-1 को मूल साक्ष्य नहीं माना जा सकता है और यह केवल शिकायतकर्ता का एक पूर्व कथन है जिसका उपयोग केवल न्यायालय में दिए गए शिकायतकर्ता के साक्ष्य की संपुष्टि करने या उसके साक्ष्य का खंडन करने के लिए किया जा सकता है जैसा कि सु**रेश कुमार श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1994, एमपीएलजे 30** के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण में, शिकायतकर्ता आनंद राम ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि एक ही जमीन के संबंध में दो मामले तहसीलदार के न्यायालय में चल रहे थे और उन्होंने सभी मामलों को समाप्त करने के लिए नहीं कहा और जब उन्होंने अपीलार्थी से सुनवाई की जल्द तारीख देने को कहा, तो अभियुक्त अपीलार्थी ने कहा कि यह मुफ्त में नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि अभियुक्त के साथ बातचीत नामांतरण कार्यवाही के संबंध में थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिनांक 03-02-1990 नामांतरण मामले में सुनवाई की तिथि थी। संबंधित अभिलेख शिकायतकर्ता को दिखाए गए, जिस पर सुनवाई की तिथि 16-01-1990 दर्शायी गई है। प्र.पी.-9 नामांतरण कार्यवाही का आदेश पत्रक है और सुनवाई की तिथि 16-01-1990 है जबकि अगली तिथि 20-02-1990 दी गई है। दिनांक 16-01-1990 के आदेश पत्रक में यह दर्ज किया गया है कि पीठासीन अधिकारी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए मामले की

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सुनवाई स्थगित की जाती है। हालाँकि, आवेदक बलराम प्रसाद की उपस्थिति दर्ज है और आदेश पत्रक के हाशिये पर उनके हस्ताक्षर भी हैं, लेकिन न तो शिकायतकर्ता आनंद राम की उपस्थिति दर्ज है और न ही उनके हस्ताक्षर हैं जो दर्शाते हैं कि वे उस तिथि को उपस्थित थे। इस प्रकार, आनंद राम, अ.सा.6 के अभिसाक्ष्य में उपरोक्त विरोधाभास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई तुच्छ विरोधाभास नहीं है, अपीलार्थी द्वारा की गई मांग की कहानी को संदिग्ध बना देता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायत प्र.पी..1 में, जिस तिथि को अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत की गई थी, वह दिनांक 03-02-1990 बताई गई है और उसे दिनांक 20-02-1990 को आने के लिए कहा गया था। प्रतिपरीक्षण में, शिकायतकर्ता का कहना है कि मांग नामांतरण कार्यवाही से संबंधित थी। दूसरे, मुख्य परीक्षण में, शिकायतकर्ता ने कहा कि अपीलार्थी ने केस को खारिज करने के लिए धन की मांग की, शिकायत में, प्र.पी.-1, यह लिखा है कि शिकायतकर्ता को केस को रोकने/स्थगित करने के लिए 200/- रुपये का भुगतान करना होगा। तीसरे, मुख्य परीक्षण में, उन्होंने कहा कि अभियुक्त अपीलार्थी ने उनसे धन के साथ जब भी व्यवस्था की जाए, आने के लिए कहा, शिकायत प्र.पी.-1 में उन्होंने दिनांक 20-02-1990 को आने के लिए कहा है। प्रतिपरीक्षण में, शिकायतकर्ता कहता है कि माँग नामांतरण कार्यवाही से संबंधित थी। नामांतरण मामले में दिनांक 03-02-1990 को कोई सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं थी, बल्कि वह दिनांक 16-01-1990 को थी। उक्त तिथि को भी, आदेश-पत्रक में शिकायतकर्ता की उपस्थिति दर्ज नहीं है। दूसरे, जहां मुख्य परीक्षण में शिकायतकर्ता यह कहता है कि अपीलार्थी ने प्रकरण खारिज करवाने के लिए धन की मांग की थी, वहीं शिकायत, प्र.पी-1 में यह उल्लेखित है कि मामला रोके/स्थगित कराने के लिए शिकायतकर्ता को 200 /-रुपये देने होंगे। तीसरे, मुख्य परीक्षण में वह कहता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने उनसे धन की जब भी व्यवस्था हो जाये, आने के लिए कहा था, जबकि शिकायत प्र.पी.-1 में उसे दिनांक 20-02-1990 को आने के लिए कहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष ने अन्य कार्यवाहियों के आदेश पत्रक अर्थात दं.प्र.सं. की धारा 145/146 के तहत कार्यवाही भी साक्ष्य में लाए हैं। उस मामले को तहसीलदार के समक्ष दिनांक 03-02-1990 को सूचीबद्ध किया गया था और मामले में दी गई अगली तिथि 03-03-1990 थी क्योंकि पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे। उस मामले में भी, आवेदक बलराम प्रसाद की उपस्थिति दर्ज की गई है और उन्होंने आदेश-पत्रकों के हाशिये पर हस्ताक्षर भी किए हैं। न तो शिकायतकर्ता की उपस्थिति दर्ज की गई है और न ही हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 16-01-1990 की नामांतरण मामले की कार्यवाही में या दिनांक 03-02-1990 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145/146 के तहत कार्यवाही में शिकायतकर्ता की उपस्थिति ही संदिग्ध है। जिस उद्देश्य से धन की माँग की गई थी, उससे संबंधित साक्ष्य भी विरोधाभासी हैं। शिकायतकर्ता आनंद राम, अ.सा.6 के अभिसाक्ष्य में उपरोक्त तात्विक विरोधाभास अपीलार्थी द्वारा माँग की कहानी को संदिग्ध बनाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. बी. एल. पटेल, अ.सा.3, जो बिल्हा में तहसीलदार के कार्यालय में लिपिक के रूप में कार्यरत थे, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 20/ए-6/88-89 उनके प्रभार में था। दिनांक 16-01-1990 को वे कार्यालय में नहीं थे और शासकीय कार्य से बिलासपुर गए थे, इसलिए उस तिथि को अपीलार्थी द्वारा स्थगन दिया गया था। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 16-01-1990 से पहले और बाद की सुनवाई की तिथियों पर अभिलेख उनके प्रभार में थे और अपीलार्थी संबंधित प्रकरण को संभाल नहीं रहा था और उन्होंने केवल दिनांक 16-01-1990 को ही आदेश पत्रक लिखे हैं। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 09-01-1990 और 16-01-1990 को आदेश पत्रक में शिकायतकर्ता आनंद राम की उपस्थिति दर्ज नहीं है। आनंद राम की उपरोक्त निर्विवाद परिसाक्ष्य से यह साबित होता है कि अपीलार्थी पंजीकरण संख्या 20/ए-6/1988-89 वाले नामांतरण कार्यवाही का प्रभारी नहीं था, जिसके संबंध में अपीलार्थी पर अवैध परितोषण की

मांग करने का आरोप है। बी.एल. पटेल, अ.सा.3 उस मामले के प्रभारी थे और केवल दिनांक 16-01-1990 को उनकी अनुपस्थिति के कारण अपीलार्थी द्वारा सुनवाई की तिथि दी गई थी। उस तिथि पर भी, न तो शिकायतकर्ता की उपस्थिति दर्ज की गई है और न ही उन्होंने आदेश पत्रकों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, अपने प्रतिपरीक्षण में, शिकायतकर्ता ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 03-02-1990 नामांतरण मामले की सुनवाई की तिथि थी जबकि नामांतरण कार्यवाही में ऐसी कोई तिथि नहीं थी। दो मामलों, विशेष रूप से दिनांक 16-01-1990 (नामातरण का मामला) और दिनांक 03-02-1990 (दं.प्र.सं. की धारा 145/146 की कार्यवाही) की कार्यवाही के अभिलेखों में न तो शिकायतकर्ता की उपस्थिति दर्ज है और न ही आदेश पत्रक के हाशिये पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार, दिनांक 16-01-1990 और 03-02-1990 को तहसीलदार के कार्यालय में शिकायतकर्ता की उपस्थिति ही अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से ही यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी केवल दिनांक 16-01-1990 को नामांतरण की कार्यवाही का प्रभारी था और उससे पहले और उसके बाद, बी. एल. पटेल, अ.सा.3, लिपिक, जो उक्त मामले को देख रहे थे, इस प्रकार, दिनांक 03-02-1990 को अपीलार्थी नामांतरण के मामले का प्रभारी नहीं था। इसलिए, दिनांक 03-02-1990 को अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी ने उस मामले को समाप्त करने के लिए धन की मांग की थी, अत्यधिक असंभावित है और मनगढ़ंत कहानी होने की आशंका है।

20. दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में अपीलार्थी ने कथन किया है कि उसे शिकायतकर्ता आनंद राम ने झूठा फंसाया है। तुलसी राम, अ.सा. 8 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायतकर्ता आनंद राम ने उसे बताया कि उसके मामले तहसीलदार बिल्हा के कार्यालय में चल रहे हैं और अपीलार्थी उसे परेशान कर रहा है और वह उसे फंसाना चाहता है और उसने तुलसी

राम से एक आवेदन तैयार करने का अनुरोध किया। प्रतिपरीक्षण में उसने बहुत स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि आनंद राम ने कहा कि वह अपीलार्थी को झूठा फंसाना चाहता था। इस प्रकार, तुलसीराम के अभिसाक्ष्य से पता चलता है कि शिकायतकर्ता आनंद राम ने उसे नहीं बताया कि अपीलार्थी ने अवैध परितोषण की मांग की है लेकिन केवल इतना कहा गया है कि अपीलार्थी उसे परेशान कर रहा था और इसलिए वह अपीलार्थी को झूठा फंसाना चाहता है और उसकी इच्छानुसार शिकायत प्र.पी-1 तुलसीराम द्वारा लिखी गई थी। तुलसीराम, अभि.सा. 8 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह आनंद राम के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया था।

21. अभियोजन पक्ष के उपरोक्त साक्ष्यों से, अपीलार्थी को झूठे आरोप में फंसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तुलसी राम, अभि.सा. 8 के साक्ष्य से यह सर्वाधिक संभावित प्रतीत होता है। इसलिए, शिकायत प्र.सा.-1 में वर्णित मांग का पूरा प्रकरण एक मनगढ़ंत कहानी प्रतीत होती है और इसीलिए आनंद राम, अभि.सा. 6 के अभिसाक्ष्य में सभी संबंधित पहलुओं पर तात्विक विरोधाभास है, जैसे कि मांग की तिथि, नामांतरण का मामला सूचीबद्ध होने की तिथि, अपीलार्थी से उसके मिलने की तिथि, मांग का उद्देश्य, अपीलार्थी द्वारा उसे धन लेकर आने के लिए कहने की तिथि। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य स्वयं रिश्वत मांगने की पूरी कहानी को अत्यधिक संदिग्ध बना देते हैं, खासकर जब तुलसी राम, अभि.सा. 8 के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि शिकायतकर्ता-आनंद राम अपीलार्थी को झूठा फंसाने के लिए दृढ़ थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. मामले के साक्ष्यों और परिस्थितियों के उपरोक्त विश्लेषण और जाँच में, अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की माँग की पूरी कहानी अत्यधिक संदिग्ध है और यह माना जाये कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की माँग को साबित करने में विफल रहा है।

23. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा रिश्वत स्वीकार करने के संबंध में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष द्वारा सी. बी. सिंह, अ.सा.1 को ट्रैप साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 20-02-1990 की सुबह लगभग 9 से 9.15 बजे के बीच, वह ट्रैप दल के साथ बिल्हा के लिए रवाना हुए थे और घटनास्थल पर और बिल्हा में तहसील कार्यालय के पास, जीप को रोका गया और आनंद राम, अ.सा.6 को पहले आगे बढ़ने के लिए कहा गया। वह तहसील कार्यालय के बगल में स्थित होटल में गए और वहीं बैठ गए जबकि अन्य लोग कार्यालय के आसपास खड़े रहे। 10-15 मिनट के बाद, शिकायतकर्ता आनंद राम, अ.सा.6 अंदर गया और उसके बाद वापस आकर संकेत दिया, जिसके बाद वह और पुलिस टीम कार्यालय के अंदर गए जहां अभियुक्त अपीलार्थी मिला और मुद्रा नोट बरामद किया गया और क्रमांक का मिलान किया गया। पुलिस टीम द्वारा सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया और अपीलार्थी के हाथ धुलवाए गए, इसका रंग गुलाबी हो गया। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी की शर्ट भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबी हुई थी और वह भी गुलाबी हो गई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि धन उस कमरे से बरामद किए गए थे, जिसमें अपीलार्थी बैठा था। उसने पान की दुकान में जाल बिछाए जाने के सुझाव से विशेष रूप से इनकार किया है। उसने न तो यह देखा है कि धन अपीलार्थी की जेब में कैसे आया और न ही यह अभिसाक्ष्य दिया है कि कोई भुगतान किया गया था या अपीलार्थी ने स्वेच्छा से धन स्वीकार किए और अपनी जेब में रख लिए। राम बहादुर सिंह, अ.सा.4, जो मुख्य आरक्षक हैं और ट्रैप दल के साथ थे, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायतकर्ता आनंद राम कार्यालय के अंदर गए और वे बरामदे में खड़े रहे और श्री टोप्पो भी वहां आए। 15 मिनट के बाद, अपीलार्थी और शिकायतकर्ता बाहर आए और पान की दुकान की ओर गए जहां वे बात कर रहे थे और कुछ समय बाद शिकायतकर्ता ने अपनी जेब से धन निकाले और अपीलार्थी को दिए और उसने उन्हें अपनी शर्ट की बाईं जेब में रख लिया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसके बाद, श्री आर.डी. दीवान और श्री शुक्ला ने अपीलार्थी को घेर लिया और वह और श्री टोप्पो वहां पहुंचे और श्री टोप्पो द्वारा पूछने पर उन्होंने अपीलार्थी की शर्ट की जेब से मुद्रा नोट बरामद किया। अपनी प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के बीच बातचीत नहीं सुनी थी। अपनी प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने अपीलार्थी से 100/- रुपये बरामद होते नहीं देखे और उसने नहीं पता कि अपीलार्थी कार्यालय में कहां बैठा था । उन्होंने आगे कहा है कि वह कार्यालय के अंदर नहीं गए थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि तहसीलदार कार्यालय में बैठे हैं या नहीं। इस प्रकार, दोनों साक्षियों का कथन, एक ट्रैप का साक्षी होने के नाते, सी.बी. सिंह, अ.सा. 1 और राम बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षक, अ.सा. 4, ट्रैप दल के साथ, न केवल उस स्थान के संबंध में विरोधाभासी है जहां शिकायतकर्ता आनंद राम, अ.सा. 6 ने अभियुक्त अपीलार्थी को धन दिए थे। ट्रैप साक्षी, सी.बी. सिंह, अ.सा. 1 के अनुसार, शिकायतकर्ता आनंद राम कार्यालय के अंदर गया और 15 मिनट बाद बाहर आया और संकेत दिया जिसके बाद वह पुलिसकर्मियों सहित ट्रैप दल के साथ अंदर गया और अभियुक्त से धन बरामद किए गए और जब वह कार्यालय के अंदर बैठा था, जबकि राम बहादुर सिंह, अ.सा. 4 के अनुसार, अभियुक्त को पान की दुकान में धन दिए गए थे। यद्यपि, मुख्य परीक्षण में, राम बहादुर सिंह अ.सा. 4, ने कहा है कि श्री टोप्पो द्वारा पूछताछ करने पर, अपीलार्थी की जेब से 100/- रुपये का नोट बरामद किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कथन किया है कि उनकी उपस्थिति में 100/- रुपये का नोट बरामद नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. आनंद राम, अ.सा.6 ने कहा है कि वह कार्यालय गया था और फिर अभियुक्त अपीलार्थी के साथ आया और वे दोनों होटल गए, जहां से अभियुक्त पान की दुकान पर गया और वहां बैठ गया। उसने मुख्य परीक्षण में आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने उससे पूछा कि वह कैसे आया है, तो उसने कहा कि वह 100 रुपये लाया और फिर अपीलार्थी को दे दिया, जिसने उसे अपनी

जेब में रख लिया और उसके बाद, अधिकारी वहां पहुंचे और अपीलार्थी को घेर लिया और अभियुक्त ने उसकी जेब से उक्त धन निकाल लिए। इस प्रकार, शिकायतकर्ता- आनंद राम, अ.सा.6 द्वारा बताई गई स्वीकृति की कहानी स्वतंत्र ट्रैप साक्षी सी. बी. सिंह, अ.सा.1 द्वारा समर्थित नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी को धन दिए जाने के स्थान के संबंध में शिकायतकर्ता, आनंद राम, अ.सा.6 और स्वतंत्र ट्रैप साक्षी सी. बी. सिंह, अ.सा.1 के अभिसाक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः, अपीलार्थी द्वारा धन स्वीकार करने की अभियोजन पक्ष की कहानी स्वतंत्र साक्षी द्वारा संपुष्ट नहीं होती है। सी. बी. सिंह, अ.सा. 1. उक्त स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी घटना को देखने के विशिष्ट उद्देश्य से लाया गया था। उसके अभिसाक्ष्य के अनुसार, शिकायतकर्ता-आनंद राम कार्यालय के अंदर गए थे और 15 मिनट बाद बाहर आए और संकेत दिया जिसके बाद ट्रैप दल अंदर गई और धन बरामद किया गया। इस प्रकार, स्वीकृति के साक्ष्य की स्वतंत्र ट्रैप साक्षी द्वारा भी संपुष्टि नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. जैसा कि तुलसी राम, अ.सा. 8 के अभिसाक्ष्य में सामने आया है कि शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी को झूठा फंसाने के आशय के स्पष्ट साक्ष्य के आलोक में, अभियोजन पक्ष द्वारा मांग के साथ-साथ स्वीकृति को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफलता और अपीलार्थी से केवल वसूली ही अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7, 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

26. **वी. वेंकट सुब्बाराव बनाम राज्य द्वारा प्रतिनिधी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ए.पी., 2007 सीआर.एल.जे. 754** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(घ) के तहत आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि अभियुक्त ने रिश्वत की कोई मांग की थी और भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम की धारा 20 के तहत वैधानिक धारणा कि अभियुक्त ने रिश्वत के तौर पर धन स्वीकार किए हैं, तब तक स्वीकार नहीं की जा सकती जब तक यह साबित न हो जाए कि रिश्वत की मांग करने का कोई हेतुक या पारितोष था और रिश्वत की मांग साबित हो जाती है। **टी. सुब्रमण्यन बनाम टी.एन. राज्य, (2006) 1 एससीसी 401** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मांग के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त द्वारा धन की प्राप्ति का मात्र साक्ष्य और अवैध परितोषण के रूप में धन स्वीकार करना अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। **सीता राम बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1975 एससी 1432** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की कहानी साबित नहीं हुई और शिकायतकर्ता द्वारा धन की मांग की कहानी भी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं हुई, तो यह उपधारणा का नियम कि पैसा रिश्वत के रूप में स्वीकार किया गया था, अभियुक्त को सिद्धदोष करने के लिए आश्रय नहीं लिया जा सकता। **सूरजमल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), एआईआर 1979 एससी 1408** में, यह अभिनर्धारित किया गया है कि रिश्वतखोरी के मामले में, जिन परिस्थितियों में पैसा दिया गया था, उन्हें छोड़कर केवल धन की वसूली, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जब मामले में ठोस साक्ष्य विश्वसनीय न हों। **जगदीश चंद्र मखीजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1990 एम.पी.एल.जे. 239** के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक ट्रैप के मामले में जब मांग और प्रस्ताव की कहानी का प्रारंभिक भाग अविश्वसनीय पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता के अभिसाक्ष्य स्वीकार नहीं की जा सकती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से, जैसा कि बी. एल. पटेल, अ.सा. 3 ने अभिसाक्ष्य दिया है यह साबित होता है कि अपीलार्थी उस संबंधित मामले का प्रभार नहीं संभाल रहा था, जिसके संबंध में उस पर रिश्वत मांगने का आरोप है। केवल उसी दिन, अर्थात् दिनांक 16-01-1990 को, जब

बी. एल. पटेल, अ.सा. 3, जो प्रभारी लिपिक थे, और उपस्थित नहीं थे, अपीलार्थी द्वारा संबंधित फाइल का प्रभार लिया गया। इसलिए, शिकायतकर्ता का यह आरोप कि दिनांक 03-02-1990 को अपीलार्थी ने उस मामले को समाप्त करने के लिए रिश्वत की मांग की, गंभीर संदेह उत्पन्न करता है और अ.सा. 8, तुलसी राम के अभिसाक्ष्य के अनुसार झूठे आरोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

28. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **राज्य प्रतिनिधि द्वारा सीबीआई, हैदराबाद (पूर्वोक्त)** के मामले का अवलंब लिया। उस मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि रिश्वत की माँग के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी उन परिस्थितियों में सिद्ध हो गई, कि अभियुक्त रिश्वत देने वाले को ठेका देने का लाभ देने की स्थिति में था। इसी पृष्ठभूमि में, माँग के प्रमाण और स्वीकृति के साक्ष्य, जिसमें सोडियम कार्बोनेट घोल का सकारात्मक परीक्षण और फिनोलफ्थैलीन पाउडर की उपस्थिति शामिल थी, को अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए प्रबल अभियोगात्मक परिस्थितियाँ माना गया। वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं क्योंकि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष मांग को साबित करने में विफल रहा है और झूठे फसाने के स्पष्ट साक्ष्य हैं और इसके अलावा, अभियुक्त अपीलार्थी लाभ या फायदा देने की स्थिति में नहीं था क्योंकि दिनांक 16-01-1990 को छोड़कर, वह संबंधित मामले का प्रभारी नहीं था, जिसके संबंध में, बी.एल. पटेल, अ.सा. 3 के साक्ष्य के अनुसार, दिनांक 03-02-1990 को रिश्वत की मांग की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. **ए. सुबैर बनाम केरल राज्य, 2009 (3) क्राइम्स 1 (SC)** के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"विधिक स्थिति अब यह नहीं रही कि अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के तहत अपराध की प्राथमिक अपेक्षा है लोक सेवक द्वारा मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की माँग या अनुरोध का प्रमाण । दूसरे शब्दों में, लोक सेवक से मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की माँग या अनुरोध के प्रमाण के अभाव में, धारा 13(1)(घ) के तहत अपराध को सिद्ध नहीं माना जा सकता।"

"वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, केवल 20/- और 5/- रुपये के मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों की बरामदगी को रिश्वत की माँग और स्वीकृति का उचित या पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता। जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में न तो गुणवत्ता है और न ही विश्वसनीयता, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करना असुरक्षित होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. **सूरजमल** (पूर्वोक्त) के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को **सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय, (2009) 3 एससीसी 779** के मामले में दोहराया गया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि जिन परिस्थितियों में दूषित धन का भुगतान किया गया था, उन्हें छोड़कर केवल उसकी वसूली ही अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि मामले में मूल साक्ष्य विश्वसनीय न हों। रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दर्शाने के लिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से यह जानते हुए भी धन स्वीकार किया था कि यह रिश्वत है, विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, केवल वसूली ही अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं कर सकती।

31. अंतिम विश्लेषण में, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए और इसे एतद्द्वारा अपास्त

किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। चूँकि अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो गई, इसलिए आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu , Advocate